

प्राप्त

आयुक्त

कानपुर मण्डल कानपुर।

सेवा में

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र प्रीति बिहार,

नई दिल्ली।

पत्रांक सी0/

/एनओसी0/2012-13

दिनांक 02.06.2012

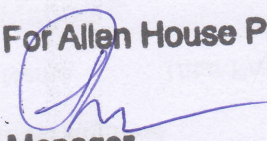
विषय:-ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441 खलसी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

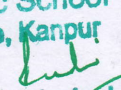
उपयुक्त विषय की ओर आपका शासनादेश संख्या 1916/15-7-09 01(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 19-03-2013 में लिए गये निर्णयानुसार ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल 10/441 खलसी लाइन, कानपुर नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेद्यो वच्चों के लिए सुरक्षित रहें और उन्हें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा प्रिमिक शिक्षा परिषद, कोशित फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वायामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है। तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रकत समाप्त हो जायेगी।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षांतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मन्तरे से कम वेतनमान तथा अन्य मन्तरे नहीं दिये जायेगे।

For Allen House Public School


Manager

Allenhouse Public School
10/441, Khalsi Line, Kanpur


Principal

- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुगम्य सेवानिवृत्त का लक्ष्य उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन कराना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(शालिनी प्रसाद)

आयुक्त

कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०सं०सी०/ ८७-९३ /2012-13 दिनोंक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
- 3- शिक्षा निदेशक(भा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
- 5- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- 6- प्रबन्धक/सचिव, ऐलेन हाउस पब्लिक स्कूल, 10/441 खलारी लाइन, कानपुर नगर।
- 7- गार्ड फाइल।

(विनय कुमार पाण्डेय)

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

कानपुर मण्डल, कानपुर

For Allen House Public School
Manager

Allenhouse Public School
10/441, Khalsi Line, Kanpur
Principal